रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1983 (चैत्र 5, 1905)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1983 (CHAITRA 5, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	317
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	403
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	361
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	763
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	1623
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	135
भाग III—खंड I—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5847
भाग III—खंड 2—पैटेण्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	189
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	39
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2131
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	53
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	317
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	403
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	361
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	763
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1623
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	135
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5847
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	189
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	39
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2131
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	53
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1983

सं. 22-प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री भगवत सिंह,
कांस्टेबल संख्या 349,
सी. पी. आफ पी. एस. कुठौंद
जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

26 मार्च, 1981 को थाना अधिकारी को गांव उकरौ और निब्बाना के निकट डाकू विजय सिंह के गिरोह की उपस्थिति के संबंध में सूचना मिली। गिरोह को पकड़ने के उनके प्रयास विफल हो गए। किन्तु जब वे थाने में लौट आए तो उन्हें गांव सेम में डाकू लाला राम श्रीराम के एक अन्य गिरोह की उपस्थिति के संबंध में सूचना मिली। डाकू विजय सिंह के गिरोह को पकड़ने से पहले प्रयास में असफलता को ध्यान में रखते हुए थाना अधिकारी सादा कपड़ों में डाकू लाला राम श्रीराम को पकड़ने के लिए रवाना हुए। पुलिस दल में अन्य व्यक्तियों के साथ कांस्टेबल श्री भगवत सिंह भी थे। गांव में पहुंचने पर जब पुलिस डाकुओं की उपस्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना की जांच कर रही थी तो पास के किसी मकान में छिपे हुए डाकुओं ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप थाना अधिकारी, एक पुलिस उप-निरीक्षक, श्री भगवत सिंह समेत दो पुलिस कांस्टेबलों को गंभीर चोटें आईं। श्री भगवत सिंह, कांस्टेबल और श्री भूरे लाल, पुलिस उप-निरीक्षक, के अतिरिक्त सभी पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर ही मारे गए। यद्यपि श्री भगवत सिंह गंभीर रूप से घायल थे फिर भी वे बरसती हुई गोलियों के बीच रेंगकर पुलिस उप-निरीक्षक के पास गए और उनको अपनी पीठ पर उठा कर सुरक्षित स्थान पर ले आए तथा पुलिस उप-निरीक्षक के घावों पर पट्टी बांधने के लिए अपनी कमीज और पैंट को फाड़ कर उनकी प्राथमिक चिकित्सा की। दुर्भाग्यवश पुलिस उप-निरीक्षक नहीं बच सके और उनकी मृत्यु हो गई। अवसर का लाभ उठाते हुए डाकू बच कर भाग गए।

डाकुओं के साथ मुठभेड़ में श्री भगवत सिंह ने साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने साथी को चिकित्सा सहायता दी।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 मार्च, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 23-प्रेज/83—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बसंत लाल तारन,
पुलिस अधीक्षक,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री हरपाल सिंह तोमर,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री धूपा राम,
हैड कांस्टेबल सं० 78,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

2 नवम्बर, 1979 को श्री हरपाल सिंह तोमर, पुलिस उप-निरीक्षक, जिला मुरैना, को सूचना मिली कि चंदन चमार का छः डाकुओं का गिरोह जारा पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में सकतपुर और मुंडरावौजा गांवों के बीच गन्ने के खेतों में उपस्थित था। उन्होंने डाकुओं के गिरोह की उपस्थिति के बारे में श्री बसंत लाल तारन, पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना, को सूचित किया। कार्यवाही के लिए एक योजना तैयार की गई। उपलब्ध पुलिस बल को चार दलों में बांट दिया गया। उनमें से तीन दलों को उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिशाओं से खेत को घेरने और बचकर भागने के सभी मार्गों को रोकने के लिए कहा गया। श्री तारन को घात लगाने वाले दल का नेतृत्व करना था। सभी पुलिस दल अपने-अपने मोर्चों पर पहुंच गए। उत्तरी और पश्चिमी पूर्वी दिशाओं से तीनों दलों ने गन्ने के खेत की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया। चूंकि गन्ने के खेत से लगा एक नाला था जिसमें से डाकुओं के बच निकलने की संभावना हो सकती थी, इसलिए घात लगाने वाले दल ने नहर की दूसरी ओर मोर्चा लगाया। श्री हरपाल सिंह तोमर और श्री धूपा राम हैड कांस्टेबल सं० 78 के साथ श्री तारन रेंगते हुए।

एक पुलिया की ओर बढ़े और उन्होंने नहर को पार करके पुलिया की दूसरी ओर मोर्चा संभाल लिया। जब मंडल निरीक्षक जागीरा के नेतृत्व में पुलिस दल गन्ने के खेत के निकट पहुंचा तो डाकुओं को पुलिस के उनकी ओर बढ़ते हुए आने का पता लग गया और डाकुओं ने पुलिस पर गोली चला दी तथा नाले की ओर भागना आरम्भ कर दिया जहां श्री तारन, श्री हरपाल सिंह तोमर और श्री धूपा राम घात लगाए हुए थे। उन्होंने डाकुओं को आत्म-समर्पण करने की चेतावनी दी लेकिन डाकुओं ने पुलिस पर भारी गोली-बारी आरम्भ कर दी। पुलिस ने भी डाकुओं पर भारी गोली-बारी की जिसके परिणामस्वरूप एक डाकू गिर गया। श्री तारन के नेतृत्व वाला दल मुठभेड़ में सबसे अग्रणी था। इसी बीच सभी पुलिस दलों द्वारा सभी दिशाओं से और मुंडरावोजा के ग्रामीण द्वारा भी गोली-बारी आरम्भ कर दी गई। विभिन्न दिशाओं से आने वाली गोलियां घात लगाने वाले पुलिस दल के सिर के ऊपर से गुजर रही थीं। तब श्री तारन ने नेतृत्व वाला दल रेंग कर गहरी नहर को पार कर वापस हो गया अपने मूल मोर्चे की ओर वापस चला गया। मुठभेड़ में चार डाकू मारे गए। काफी संख्या में शस्त्र और गोलाबारूद पकड़ा गया।

डाकुओं के साथ मुठभेड़ में बसंत लाल तारन, श्री हरपाल सिंह तोमर तथा श्री धूपाराम ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 नवम्बर, 1979 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1983

शुद्धिपत्र

सं० एम० 13016/8/82-समन्वय—इस मंत्रालय के दिनांक 23-12-82 की अधिसूचना सं० एम०-13016/8/82-समन्वय जो भारत के राजपत्र भाग I खण्ड 1 (भारत सरकार) के उप पैराग्राफ 4 में आंशिक संशोधन करके उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

4. "कार्यकारी दल" अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1982 के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

मुकुल राय, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 1983

सं० ओ०-15011/1/82-एस० ई० आर०—योजना आयोग के दिनांक 6 अगस्त 1982 के संकल्प सं० ओ०-15011/1/80-एस० ई० आर० के पैरा 1 के संदर्भ में।

2. "समिति के गठन" में क्रम सं० 2 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए।

3. "डा० ए० एम० खुसरो, सदस्य, योजना आयोग"

3. शेष प्रविष्टियों को पुनः "18" संख्यांक दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० अग्रवाल
निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1983

संकल्प

सं० 26-1/80-फ० प्र० 2—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 16-2/76-फ० प्र० 2 दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 द्वारा गठित भारतीय तिलहन विकास परिषद् को तत्काल से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद् निम्न प्रकार से गठित होगी :—

1. अध्यक्ष :	एक गैर-सरकारी व्यक्ति, जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।
2. उपाध्यक्ष :	कृषि आयुक्त कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग
3. सदस्य :	
(क) संसद सदस्य :	पांच संसद सदस्य (चार सदस्य लोक सभा और एक राज्य सभा से) जिन्हें संसद् कार्य विभाग नामजद करेगा।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभागों का एक-एक प्रतिनिधि जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा :—

(1) आंध्र प्रदेश
(2) बिहार
(3) गुजरात
(4) हरियाणा
(5) कर्नाटक
(6) मध्य प्रदेश
(7) महाराष्ट्र
(8) पंजाब
(9) तमिलनाडु
(10) उत्तर प्रदेश
(11) राजस्थान
(12) उड़ीसा
(13) पश्चिमी बंगाल

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :—

(1) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
(2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
(3) नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
(4) निदेशक, वनस्पति निदेशालय, वनस्पति तेल और चिकनाई, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
(5) विस्तार आयुक्त, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग
(6) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा उनका नामित व्यक्ति।
(7) परियोजना निदेशक (तिलहन) तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद -500 030 (आंध्र प्रदेश)
(8) परियोजना समन्वयक (सोयाबीन) अखिल भारतीय सोयाबीन समन्वित अनुसंधान परियोजना, गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश।
(9) अपर आयुक्त (तिलहन विकास), कृषि और सहकारिता विभाग

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि :

(क) निम्नलिखित तिलहन उत्पादक राज्यों से तिलहन उत्पादकों का एक-एक प्रतिनिधि, जिसे संबंधित राज्य सरकार नामजद करेगी।

(1) आंध्र प्रदेश

(2) बिहार

(3) हरियाणा

(4) गुजरात

(5) कर्नाटक

(6) मध्य प्रदेश

(7) महाराष्ट्र

(8) पंजाब

(9) तमिलनाडु

(10) उत्तर प्रदेश

(11) राजस्थान

(12) पश्चिम बंगाल

(13) उड़ीसा

(ख) तिलहन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि, जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि :—

निम्नलिखित का एक-एक प्रतिनिधि :—

(1) वनस्पति विनिर्माता संघ, बंबई।

(2) खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग, बंबई।

(3) इंडियन आयल मिलर्ज एसोसियेशन, नई दिल्ली।

(च) व्यापार के प्रतिनिधि

व्यापार के दो प्रतिनिधि, जिन्हें भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ द्वारा नामजद किया जाएगा।

(छ) कामगरों के प्रतिनिधि :

(क) फार्मों में काम करने वाले—एक

(ख) कारखानों में काम करने वाले—एक

(ज) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नामजद करे।

4. सदस्य सचिव :—निदेशक
तिलहन विकास निदेशालय,
तिलहन भवन, हिमायत नगर हैदराबाद।

5. प्रेक्षक :—(जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु परिषद् के विचार-विमर्श में सहायता देने के लिये उन्हें निरन्तर रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

1. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि।

2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

3. अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि :

4. भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार कृषि और सहकारिता विभाग।

5. राष्ट्रीय बीज निगम बीज भवन, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

7. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि :

8. अध्यक्ष कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि अथवा उनका नामित व्यक्ति।

2. कार्य :—

परिषद् एक सलाहकार निकाय के रूप में निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(1) नारियल को छोड़कर सोयाबीन तथा वृक्ष मूलक तिलहनों समेत, तिलहनों के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की संवीक्षा करना और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय सुझाना।

(2) तिलहनों के उत्पादन और विपणन तथा तिलहन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों में सरकार को सलाह देना।

(3) देशी तथा निर्यात मंडलों में तिलहनों की विभिन्न किस्मों की मांगों पर विचार करना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजनों के बारे में सरकार को सलाह देना।

(4) तिलहन उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाना।

(5) तिलहनों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना तथा तिलहनों की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना।

(6) ऐसे अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जायें।

3. परिषद् को विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिये स्थाई समितियां तकनीकी समितियां तथा तदर्थ समितियां स्थापित करने और विशेष प्रयोजनों के लिये आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने के अधिकार होंगे।

4. तिलहन उगाने वाले क्षेत्रों तथा तिलहनों के व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर परिषद् की समय-समय पर बैठकें होंगी और वह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

5. परिषद् तब तक काम करेगी, जब तक सरकार एक संकल्प द्वारा इसे भंग न कर दे।

6. परिषद् में नामित संसद सदस्यों की संसद सदस्यता समाप्त होते ही उनकी परिषद की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० सी० एस० आचार्य, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 1983

संकल्प

सं० 1-3/82-वानिकी (समन्वय)—प्रति वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च 1980 को जारी किये गये संकल्प संख्या 4-1/80-एफ० आर० वाई० (एफ० डी०) के अनुसार एक विश्व वानिकी दिवस समिति गठित की गई थी। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष अर्थात् 25 मार्च 1982 तक निश्चित किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि समिति का कार्यकाल अगले दो वर्षों अर्थात् 25 मार्च, 1984 तक बढ़ा दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

समर सिंह, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 1983

सं० 3/49/80-ई० आई० एण्ड ई० पी०:—शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के कार्यालय, बम्बई में अधीक्षक श्री ए० मुथिया को 1 फरवरी, 1983 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के कार्यालय, बम्बई में शत्रु सम्पत्ति सहायक अभिरक्षक (एक पद जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में सम्मिलित है के पद पर नियुक्त किया गया है।

जोगिन्दर सिंह, निदेशक

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 1983

संकल्प

विषय: भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के लिये सलाहकार समिति का गठन।

सं० डब्ल्यू० एम० 9(11)/80—भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 1980 के नियम 8 के अनुसरण में तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के 26 दिसम्बर, 1980 के इसी संख्या के संकल्प का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

अध्यक्ष

1. सचिव
   भारत सरकार
   नागरिक पूर्ति विभाग
   नई दिल्ली

सदस्य

2. महाप्रबन्धक
   भारत सरकार टकसाल
   बम्बई
3. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
   विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
   नई दिल्ली
4. सचिव
   भारत सरकार
   विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
   (विधायी विभाग)
   नई दिल्ली
5. निदेशक
   राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
   नई दिल्ली
6. सचिव
   असम सरकार
   कृषि विभाग
   दिसपुर
7. सचिव
   गुजरात सरकार
   खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग
   अहमदाबाद
8. सचिव
   हरियाणा सरकार
   उद्योग विभाग
   चण्डीगढ़
9. बाट तथा माप नियंत्रक
   आन्ध्र प्रदेश सरकार
   हैदराबाद
10. प्रशिक्षार्थी प्रतिनिधि
    भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान
    रांची
11. महानिदेशक
    भारतीय मानक संस्था
    नई दिल्ली
12. श्री के० एस० लक्ष्मीनारायण
    एवरी इण्डिया लिमिटेड
    नई दिल्ली
13. प्रधान
    विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग
    राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद
    नई दिल्ली
14. प्रधान
    वर्कशाप विभाग
    राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद
    नई दिल्ली
15. वित्तीय सलाहकार
    नागरिक पूर्ति विभाग
    नई दिल्ली
16. सलाहकार (एस० टी० क्यू० सी०)
    इलैक्ट्रोनिक्स विभाग
    भारत सरकार

पदेन सदस्य

17. निदेशक
    विधिक माप विज्ञान
    नागरिक पूर्ति विभाग
    नई दिल्ली

पदेन संयोजक

18. प्रधानाचार्य
    भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान
    रांची

श्री विलास मणि त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1983

संकल्प

विषय :—शिक्षण के माध्यम को बदलने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के उत्पादन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिये राज्य पुस्तक उत्पादन बोर्डों/हिन्दी ग्रंथ अकादमियों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार समिति की स्थापना।

सं० 18-13/83-डैस्क-III(भाषा)—21-5-1982 को हुई राज्य पुस्तक उत्पादन बोर्डों/हिन्दी ग्रंथ अकादमियों के निदेशकों की बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही "भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकों के उत्पादन के लिये सहायता की योजना" के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण के माध्यम को बदलने तथा हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के उत्पादन के लिये सरकार को सलाह देने के लिये एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

2. कार्य : अंग्रेजी हिन्दी के माध्यम को बदलने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर (पोलिटेक्नीक स्तर शिक्षा तथा जमा दो स्तर सहित) क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण के माध्यम पर सरकार को सलाह देना।

3. गठन : समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i) शिक्षा सचिव

(ii) अपर सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(iii) हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालय से दो कुलपति

(iv) अ-हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों से दो कुलपति

(v) राज्य पुस्तक उत्पादन बोर्डों के दो निदेशक हिन्दी तथा अ-हिन्दी भाषी राज्यों से एक-एक

(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दो प्रतिनिधि जिसमें से एक वि० अ० आयोग का सचिव होगा।

(vii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक प्रतिनिधि

(viii) हरियाणा, बंगलौर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक-एक प्रतिनिधि ।

(ix) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि

(x) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में भाषा विभाग से संबंधित संयुक्त शिक्षा सलाहकार/संयुक्त सचिव

(xi) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष अथवा उनको/उनका नामित व्यक्ति।

(xii) सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।

(xiii) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव उप-शिक्षा सलाहकार (भाषा)—सदस्य-सचिव

4. कार्यकाल : उपरोक्त 3(iii) से 3(viii) में उल्लिखित समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। त्याग पत्र, मृत्यु आदि के कारण हुई कोई भी रिक्ति की दशा में नामित प्रतिनिधि तीन वर्ष के बाकी बचे समय के लिये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा। पदेन प्रतिनिधि तब तक समिति के सदस्य रहेंगे जब तक वे अपने सरकारी पद पर हैं।

5. बैठकें : समिति की बैठक 6 महीनों में एक बार होगी अथवा जब भी अध्यक्ष निर्णय लेता है और इस बैठक में विभिन्न बोर्डों/अकादमियों से प्राप्त विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम को बदलने तथा अपेक्षित पुस्तकों की उपलब्धता की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

6. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय : समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का व्यय उस सदस्य के संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/अकादमी/संगठन की निधि में से उन दरों पर किया जाएगा जो उनको लागू है।

7. उप-समिति आदि : समिति के अध्यक्ष को कार्य दल/उप-समिति के गठन करने का अधिकार होगा तथा वह निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा निदेशक (वित्त) तथा समिति से संबंधित किसी अन्य विशेषज्ञ को जैसा भी आवश्यक समझा जाए, शामिल कर सकता है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां समिति के सभी सदस्यों, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, निदेशक, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत के संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य शिक्षा विभाग तथा राज्य पुस्तक उत्पादन बोर्ड/हिन्दी ग्रंथ अकादमियों को जो विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के उत्पादन की योजना में भाग ले रही हैं, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना राष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार के मंत्रालय तथा विभाग को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प, भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

के० के० खुल्लर, उप-सचिव

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1983

संकल्प

सं० 6/1/79-पी० पी०—जल, जो जीवन-निर्वाह एवं आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक है, देश में अत्यधिक दुर्लभ संसाधन बनता जा रहा है। जल संसाधनों के विकास का आयोजन एवं क्रियान्वयन अब तक, कुल मिलाकर पृथक-पृथक राज्यों द्वारा किया जाता रहा है। चूंकि हमारे देश में बड़ी नदियां अन्तर्राज्यिक प्रकृति की हैं, इसलिए पृथक-पृथक राज्यों द्वारा इन नदियों के संबंध में व्यापक (मास्टर) योजना तैयार करना संभव नहीं हो सका है। यह महसूस किया गया है कि जल संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और उनसे इष्टतम लाभ प्राप्त किए जा सकें।

2. सिंचाई आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग सहित, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा हाल के वर्षों में सर्वोत्तम राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जल संसाधनों के विकास एवं उपयोग के लिए ऐसी राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने हेतु एक शीर्ष निकाय की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी 1 मार्च, 1982 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया था और परिषद् ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा उसके साथ ही राज्य की तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जल योजना तैयार की जाएं। इस सन्दर्भ में, परिषद् ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् तथा नदी बेसिन आयोगों को स्थापित करने के लिए, भारत सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया था।

3. तदनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसका गठन निम्न प्रकार है :—

1. प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2. केन्द्रीय सिंचाई मंत्री	उपाध्यक्ष
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य
4. केन्द्रीय कृषि मंत्री	सदस्य

5. केन्द्रीय योजना मंत्री — सदस्य
6. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री — सदस्य
7. केन्द्रीय नौवहन तथा परिवहन मंत्री — सदस्य
8. केन्द्रीय निर्माण एवं आवास मंत्री — सदस्य
9. पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय के (स्वतंत्र रूप से प्रभारी) केन्द्रीय राज्य मंत्री — सदस्य
10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय राज्य मंत्री — सदस्य
11. मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश — सदस्य
12. मुख्य मंत्री, असम — सदस्य
13. मुख्य मंत्री, बिहार — सदस्य
14. मुख्य मंत्री, गुजरात — सदस्य
15. मुख्य मंत्री, हरियाणा — सदस्य
16. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश — सदस्य
17. मुख्य मंत्री, कर्णाटक — सदस्य
18. मुख्य मंत्री, जम्मू और कश्मीर — सदस्य
19. मुख्य मंत्री, केरल — सदस्य
20. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश — सदस्य
21. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र — सदस्य
22. मुख्य मंत्री, मणिपुर — सदस्य
23. मुख्य मंत्री, मेघालय — सदस्य
24. मुख्य मंत्री, नागालैंड — सदस्य
25. मुख्य मंत्री, उड़ीसा — सदस्य
26. मुख्य मंत्री, पंजाब — सदस्य
27. मुख्य मंत्री, राजस्थान — सदस्य
28. मुख्य मंत्री, तमिलनाडु — सदस्य
29. मुख्य मंत्री, सिक्किम — सदस्य
30. मुख्य मंत्री, त्रिपुरा — सदस्य
31. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश — सदस्य
32. मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल — सदस्य
33. मुख्य आयुक्त, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह — सदस्य
34. मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश — सदस्य
35. मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ — सदस्य
36. प्रशासक, दादरा तथा नागर हवेली — सदस्य
37. उपराज्यपाल, दिल्ली — सदस्य
38. मुख्य मंत्री, गोवा, दमन एवं दीव — सदस्य
39. प्रशासक, लक्षद्वीप — सदस्य
40. मुख्य मंत्री, मिजोरम — सदस्य
41. मुख्य मंत्री, पाण्डिचेरी — सदस्य

4. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करना और समय-समय पर उसकी समीक्षा करना।

(ख) राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी, नदी बेसिन आयोगों आदि द्वारा उसे प्रस्तुत की गई जल विकास योजनाओं (वैकल्पिक योजनाओं सहित) पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना।

(ग) जल योजनाओं को ऐसे संशोधनों के साथ, जो उपयुक्त एवं आवश्यक समझे जाएं, स्वीकृति हेतु सिफारिश करना।

(घ) ऐसे और आगे अध्ययन किए जाने हेतु निदेश देना, जो योजनाओं अथवा उनके संघटकों पर पूरी तरह विचार करने के लिए आवश्यक हों।

(ङ) जल योजनाओं के विशिष्ट तत्वों तथा अन्य ऐसे मामलों, जो परियोजनाओं के आयोजन अथवा कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हों, के संबंध में अन्तर्राज्यिक मतभेदों के समाधान करने की युक्तियों के बारे में परामर्श देना।

(च) इष्टतम विकास एवं जनता के लिए अधिकतम लाभों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न लाभभोगियों द्वारा जल संसाधनों के उचित वितरण तथा उपयोग के लिए प्रयोगों, कार्यप्रणालियों, प्रशासनिक प्रबन्धों एवं विनियमनों के बारे में परामर्श देना।

(छ) ऐसी सिफारिशें करना जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के शीघ्रतापूर्वक और पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस तथा किफायती विकास को प्रोत्साहन मिले।

5. परिषद् की प्रायः जब भी आवश्यक हो और हर हालत में, वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी।

6. परिषद अपनी कार्य-नियमावली एवं प्रक्रिया तैयार करेगी।

7. सिंचाई मंत्रालय ऐसी प्रशासनिक अथवा अन्य सहायता, जो भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा।

8. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्, भारत के राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से संघटित मानी जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक-सचिवों, प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे आम सूचना के लिए राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

मा० गो० पाध्ये, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th March 1983

No. 22—Pres./83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police.

Name and rank of the officer

Shri Bhagwat Singh,
Constable No. 349, CP of PS Churkhi,
District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Statement of Services for which Decoration has been Awarded.

On the 26th March, 1981, the Station Officer Churkhi received information about the presence of the gang of dacoit Vijay Singh near village Urkara and Nibbana. His attempts to apprehend the gang failed. But when he returned to the Police Station he received information about the presence of another gang of dacoit Lala Ram Sriram in village Sem. In view of failure in the earlier attempt to apprehend the gang of dacoit Vijay Singh, the Station Officer proceeded to apprehend the gang of dacoit Lalaram Sriram in plain clothes. The Police party consisted among others, of Shri Bhagwat Singh, Constable. On reaching the village, when the Police were trying to verify the information about the presence of the dacoits, the dacoits who were hiding in a house nearby opened fire on the Police, as a result of which the Station Officer, one Sub-Inspector of Police, two Police Constables including Shri Bhagwat Singh received serious injuries. All the Police Officers except Shri Bhagwat Singh, Constable and Shri Bhoore Lal, Sub-Inspector, died on the spot. Even through Shri Bhagwat Singh serious injured he crawled upto the Sub-Inspector under the raining bullets and carried him on his back to a place of safety, gave him first aid by tearing off his own shirt and pant for bandaging the wounds of SI. Unfortunately, the SI could not survive and died. Taking advantage of the opportunity the dacoits escaped.

During the encounter with the dacoits, Shri Bhagwat Singh exhibited courage and devotion to duty. He rendered medical assistance to his fellow policemen in disregard of his personal safety.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th March, 1981.

No. 23-Pres./83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police.

Name and rank of the officers

Shri Basant Lal Taran,
Superintendent of Police.
District Morena.
Madhya Pradesh.

Shri Harpal Singh Tomar,
Sub-Inspector of Police.
District Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Dhupa Ram
Head Constable No. 78.
District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of Services for which Decoration has been Awarded.

On the 2nd November, 1979, Shri Harpal Singh Tomar, Sub-Inspector of Police. District Morena, received information that the gang of dacoit Chandan Chamar consisting of six dacoits was present in the sugarcane field between villages Sakatpur and Mundraoja in the jurisdiction of Jora Police Station. He informed Shri Basant Lal Taran, Superintendent of Police. District Morena, about the presence of the dacoit gang. A plan of action was chalked out. The Police force available was divided into four groups. Three of them were asked to encircle the field from the northern, western and eastern sides of the field and cut off all possible routes. Shri Taran was to lead the ambush party. All the Police parties reached their respective positions. The three parties proceeding from the northern, western and easter sides started going closer to the sugarcane field. Since there was a nallah adjoining the sugarcane field which could have made the escape possible for the dacoits, the ambush party took up the position on the other side of the canal. Shri Taran along with Shri Harpal Singh Tomar and Shri Dhupa Ram, Head Constable No. 78, advanced towards a culvert by crawling and crossing the Canal and took up position on the other side of the culvert. When the Police party led by the Circle Inspector Jaora reached near the sugarcane field, the dacoits discovered their approach and opened fire on them, and started running towards the Nallah where Shri Taran, Shri Harpal Singh Tomar and Shri Dhupa Ram were lying in ambush. They challenged the dacoits to surrender but the dacoits opened heavy fire on the Police. The Police also opened heavy fire on the dacoits as a result of which one dacoit fell down. The group led by Shri Taran was in forefront of the encounter. In the meantime firing started from all directions by all the Police parties, as also by the villagers of Mundraoja. The volley of fire coming from various directions was passing over the head of the ambush group of the Police. The group led by Shri Taran then crawled back across the deep canal and returned towards their original position. In the encounter four dacoits were killed. A number of arms and ammunitions were captured.

In the encounter with the dacoits Shri Basant Lal Taran, Shri Harpal Singh Tomar and Shri Dhupa Ram exhibited conspicous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd November, 1979.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF PLANNING
DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 25th February 1983

CORRIGENDUM

No. M-13016/8/82-Coord.—In partial modification of this Ministry's Notification No. M-13016/8/82-Coord, dated 23.12.1982 published in the Gazette of India, Part I, Section 1. Govt. of India, for the para 4, the following para may be substituted :—

4. The Working Group will submit its reports by the end of December, 1982.

MUKUL ROY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 2nd February 1983

No. O.15011/1/82-SER.—Reference para 1 of the Planning Commission Resolution No. O.15011/1/80-SER dated the 6th August, 1982.

2. After serial No. 2, in the 'Composition of the Committee' the following may be added.

3. "Dr. A. M. Khusro, Member, Planning Commission'

3. The remaining entries may be renumbered as "18".

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

K. C. AGGARWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRI. & COOPN.

New Delhi, the 28th February 1983

RESOLUTION

No. 26-1/80-C.A.II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Oilseeds Development Council set up vide their Resolution No. 16-2/76-C.A.II dated the 12th October, 1977 with immediate effect. The reconstituted Council will be composed as follows:—

1. *CHAIRMAN* :

A non-official to be nominated by the Government of India.

2. *VICE-CHAIRMAN* :

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.

3. *MEMBERS* :

(A) *MEMBERS OF PARLIAMENT* :

Five Members of Parliament (four from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(B) *REPRESENTATIVE OF STATE GOVERNMENTS* :

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Andhra Pradesh.
(ii) Bihar.
(iii) Gujarat.
(iv) Haryana.
(v) Karnataka.
(vi) Madhya Pradesh.
(vii) Maharashtra.
(viii) Punjab.
(ix) Tamil Nadu.
(x) Uttar Pradesh.
(xi) Rajasthan.
(xii) Orissa.
(xiii) West Bengal.

(C) *REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVERNMENT*

1. One representative of the Ministry of Commerce.
2. One representative of the Planning Commission.
3. One representative of the Ministry of Civil Supplies.
4. Director, Dte. of Vanaspathi, Vegetable Oil and Fats, Nehru Place, New Delhi.
5. Extension Commissioner to the Government of India, Department of Agriculture and Cooperation.
6. Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee.
7. The Project Director (Oilseeds), Directorate of Oilseeds Research, Rajendranagar, Hyderabad-500 030 (Andhra Pradesh).
8. Project Coordinator (Soyabean), All India Coordinated Research Project on Soyabean, Gobind Balav Pant University of Agricultural & Technology, Pant Nagar, district Nainital, Uttar Pradesh.
9. Additional Commissioner (Oilseeds Development), Department of Agriculture and Cooperation.

(D) *GROWERS' REPRESENTATIVES* :

(a) One representative of the Oilseeds Growers to be nominated by the respective State Governments from each of the following Oilseeds growing States ;

(i) Andhra Pradesh.
(ii) Bihar.
(iii) Gujarat.
(iv) Haryana.
(v) Karnataka.
(vi) Madhya Pradesh.
(vii) Maharashtra.
(viii) Punjab.
(ix) Tamil Nadu.
(x) Uttar Pradesh.
(xi) Rajasthan.
(xii) West Bengal.
(xiii) Orissa .

(b) One representative of Oilseed Growers to be nominated by the Government of India.

(E) *REPRESENTATIVES OF INDUSTRY*

One representative each of :—

(i) The Vanaspathi Manufacturers Association, Bombay.
(ii) The Khadi & Village Industry Commission, Bombay.
(iii) The Indian Oil Miller's Association, New Delhi.

(F) *REPRESENTATIVES OF TRADE* :

Two representatives of trade to be nominated by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(G) *REPRESENTATIVES OF WORKERS* :

(a) Engaged in farms.—One.
(b) Engaged in factories—One.

(H) *SUCH ADDITIONAL PERSONS AS MAY, FROM TIME TO TIME, BE NOMINATED BY THE GOVERNMENT OF INDIA.*

IV. *MEMBER-SECRETARY* :

The Director,
Directorate of Oilseeds Development,
Telhan Bhawan,
Himayatnagar,
Hyderabad.

V. *OBSERVERS*:

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. The Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Rural Development or his representative.
2. The Financial Adviser, Ministry of Agri., Department of Agriculture and Cooperation.
3. The Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture or his representative.
4. The Plant Protection Adviser to the Government of India, Department of Agriculture and Cooperation.
5. A representative of the National Seeds Corporation, Beej Bhawan, New Delhi.
6. A representative of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
7. A representative of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., New Delhi.
8. Chairman, Agricultural Prices Commission or his nominee, New Delhi.

2. *FUNCTIONS* :

The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider development programme in the Central and State Sectors in respect of Oilseeds including Soyabean and Oilseeds of tree origin excluding Coconut, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Oilseeds.

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of oilseeds and remunerative prices to Oilseeds growers and advise the Government in these matters.

(iii) To consider demands for different varieties of Oilseeds in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in Oilseeds Production Programme accordingly.

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Oilseeds production and suggest suitable measures for meeting the same.

(v) To facilitate coordination between research and development programme relating to Oilseeds and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Oilseeds.

(vi) To advise the Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and *Ad-hoc* Committees to look into the specific issues and co-opt members, such as representatives of Agricultural Universities and other special interest as and when necesary for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Oilseds are grown and at important centres of Oilseeds trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government.

6. Those members of Council who are nominated from the Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments. Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat .

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

New Delhi-1, the 9th February 1983

RESOLUTION

No. 1-3/82-FRY(COORD).—The World Forestry Day is observed on 21st March every year. As per Resolution issued vide No. 4-1/80-FRY(FD) dated 26th March, 1980, a committee on World Forestry Day was set up. The tenure of the committee was for two years i.e. upto 25th March, 1982. It has now been decided to extend the tenure of the committee by another two years i.e. upto 25th March, 1984.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all concerned.

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SAMAR SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPTT. OF COMMERCE)

New Delhi, the 20th March, 1983

No. 3/49/80-Et&EP.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Enemy Property Act, 1968 Shri A. Muthiah, Superintendent in the Office of the Custodian of Enemy Property for India, Bombay has been appointed as Assistant Custodian of Enemy Property (a post included in Section Officer(s) Grade of the Central Secretariat Service) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the Office of the Custodian of Enemy Property for India, Bombay with effect from 1st February, 1983 (Forenoon) until further orders.

JOGINDER SINGH, Director

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES)

New Delh, the 12th March 1983

RESOLUTION

SUBJECT :—Constitution of Advisory Committee for the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.

No. WM-9(11)/80.—In pursuance of rule 8 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules, 1980 and in supersession of Ministry of Civil Supplies Resolution of even number dated the 26th December, 1980, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of :—

Chairman.

1. The Secretary to the Government of India,
Department of Civil Supplies,
New Delhi.

Members

2. The General Manager,
India Government Mint,
Bombay.

3. Principal Scientific Officer,
Department of Science and Technology,
New Delhi.

4. Secretary to the Government of India,
Ministry of Law, Justice and Company Affairs,
(Legislative Department),
New Delhi.

5. The Director,
National Physical Laboratory,
New Delhi.

6. The Secretary,
Government of Assam,
Agriculture Department,
Dispur.

7. The Secretary,
Government of Gujarat,
Food and Civil Supplies Department,
Ahmedabad.

8. The Secretary,
Government of Haryana,
Industries Department,
Chandigarh.

9. The Controller of Weights and Measures,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad.

10. Trainee Representative,
Indian Institute of Legal Metrology,
Ranchi.

11. Director General,
Indian Standards Institution,
New Delhi.

12. Shri K. S. Lakshminarayan,
Avery India Limited,
New Delhi.

13. Head,
Department of Educaton in Science and Mathematics,
National Council of Educational Research and Training,
New Delhi.

14. Head, Workshop Department,
National Council of Educational Research and Training,
New Delhi.

15. Financial Advisor,
Department of Civil Supplies,
New Delhi.

16. Advisor (STQC),
Department of Electronics,
Government of India.

Ex-officio Member

17. The Director of Legal Metrology,
Department of Civil Supplies,
New Delhi.

Ex-officio Convener

18. The Principal,
Indian Institute of Legal Metrology,
Ranchi.

S. V. M. TRIPATHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

DEPARTMENT OF EDUCATION

New Delhi, the 23rd February 1983

RESOLUTION

SUBJECT :—Setting of the Committee as recommended by the State Book Production Boards/Hindi Granth Akademies to review the progress of the change over the media of instruction and on the Production of Books at University level in Hindi and Regional Languages.

No. 18-13/82-D.III(L).—On the recommendation made at the meeting of the Directors of State Book Production Borads/Hindi Granth Akademies held on 21.5.1982, it has been decided to set up a Committee to advise the Govt. on the medium change over at the University level and on the medium change over at the University level and on the production of books in Hindi and Regional Languages under the "Scheme of Assistance for Production of University level books in Indian languages" launched by this Ministry.

2. *Functions* : To advise the Government on the medium change over from English to Hindi and Regional languages in the medium of instruction at University level (including polytechnic level education and plus-two stage).

3. *Composition* : The Committee shall consist of the following :

Chairman

(i) Education Secretary.

Members

(ii) Additional Secretary, Ministry of Education and Culture.

(iii) Two Vice-Chancellors of the Universities from Hindi speaking States.

(iv) Two Vice-Chancellors of the Univesities from the non-Hindi speaking States.

(v) Two Directors of State Book Production Boards, each group from the Hindi and non-Hindi speaking States.

(vi) Two representatives of the University Grants Commission, one of whom will be Secretary, UGC.

(vii) One representative of the Indian Institutes of Technology.

(viii) One representative of the Vice-Chancellors of Agricultural Universities in Haryana, Bangalore, Andhra Pradesh, U.P. and Himachal Pradesh.

(ix) One representative of the Indian Council of Agricultural Research.

(x) Joint Educational Adviser/Joint Secretary dealing with Languages Division in the Ministry of Education and Culture.

(xi) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi or his/her nominee.

(xii) Secretary, Association of Indian Universities, New Delhi.

Member-Secretary

(xiii) Director/Deputy Secretary/Deputy Educational Adviser (Languages) in the Ministry of Education and Culture.

4. *Tenure* : The tenure of the Members of the Committee, mentioned at 3(iii) and 3(vii) above will be 3 years. In the event of any vacancy arising due to resignation, death etc. the representative nominated will continue as Member of the Committee for the residual period of the tenure of 3 years.

The ex-officio representatives shall continue to be the Members of the Committee for so long as they are holding their official position.

5. *Meetings* : The Committee shall meet once in six months or as often as may be decided by the Chairman, to review the Reports from the various Boards/Akademies on the progress achieved on the change over, of the media of education in the Universities and on the availability of books required.

6. *Expenditure on TA/DA* : The expenditure on TA/DA for attending the Meetings of the Committee will be met by the Members concerned from the funds of the University/Board/Akademi/Organisation concerned to which they belong, at the rates applicable to them.

7. *Sub-Committees etc.* : The Chairman of the Committee shall have power to constitute a Working Group/Sub-Committee, and to associate the Director, Central Hindi Directorate and the Director (Finance) or any other experts, with the affairs of the Committe, as may be considered necessary.

ORDER

ORDERED that the copies of the Resolution be communicated to all Members of the Committee, the Commission for Scientific and Technical Terminology, the Chairman, University Grants Commission, Indian Council of Agricultural Research, Directors, All Indian Institutes of Technology, Vice Chancellors of Universities concerned in India, Secretary, Association of Indian Universities Vice-Chancellors of the Agricultural Universities concerned, State Education Departments and State Book Production Boards/Hindi Granth Akademies participating in the Scheme of Production of Books at University level in Indian Languages, Prime Minister's Office, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazete of India for information.

K. K. KHULLAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 10th March 1983

RESOLUTION

No. 6/1/79-PP.—Water which is vital for sustenance of life and economic development is becoming an increasingly scarce resource in the country. The planning and execution of water resources development have by and large been carried out by individual states so far. As the major rivers in our country are inter-State in nature, it has not been possible for individual States to prepare master plans in respect of these rivers. It has been felt that planning at national level for utilisation of water resources should be undertaken so that the greatest good is achieved and optimum benefits derived from the available water resources.

2. The necessity for an apex body to evolve national policies for development and use of water resources in conformity with the highest national interests has been emphasised in recent years by various authorities including the Irrigation Commission, National Commission on Agriculture and the Rashtriya Barh Ayog. The National Development Council at its meeting held on 14th March, 1982 also discussed the matter and the Council observed that a climate should be created in which national water plans are prepared keeping in view the national perspective as well as State and regional needs. In that context, the Council welcomed the proposed of the Government of India for setting up of National Water Resources Council and River Basin Commissions.

3. Accordingly, it has been decided by the Government of ndia to set up a National Water Resources Council with the ollowing composition :—

(1) Prime Minister—Chairman.

(2) Union Minister of Irrigation—Vice Chairman.

(3) Union Minister of Finance—Member.

(4) Union Minister of Agriculture—Member.

(5) Union Minister of Planning—Member.

(6) Union Minister of Energy—Member.

(7) Union Minister of Shipping & Transport—Member.

(8) Union Minister of Works & Housing—Member.

(9) Union Minister of State (Independent charge) of Ministry of Tourism & Civil Aviation—Member.

(10) Union Minister of State for Science & Technology—Member.

(11) Chief Minister, Andhra Pradesh—Member

(12) Chief Minister, Assam—Member.

(13) Chief Minister, Bihar—Member.

(14) Chief Minister, Gujarat—Member.

(15) Chief Minister, Haryana—Member.

(16) Chief Minister, Himachal Pradesh—Member.

(17) Chief Minister, Karnataka—Member.

(18) Chief Minister, Jammu & Kashmir—Member.

(19) Chief Minister, Kerala—Member.

(20) Chief Minister, Madhya Pradesh—Member.

(21) Chief Minister, Maharashtra—Member.

(22) Chief Minister, Manipur—Member.

(23) Chief Minister, Meghalaya—Member.

(24) Chief Minister, Nagaland—Member.

(25) Chief Minister, Orissa—Member.

(26) Chief Minister, Punjab—Member.

(27) Chief Minister, Rajasthan—Member.

(28) Chief Minister, Tamil Nadu—Member.

(29) Chief Minister, Sikkim—Member.

(30) Chief Minister, Tripura—Member.

(31) Chief Minister, Uttar Pradesh—Member.

(32) Chief Minister, West Bengal—Member.

(33) Chief Commissioner, Andaman & Nicobar Islands—Member.

(34) Chief Minister, Arunachal Pradesh—Member.

(35) Chief Commissioner, Chandigarh—Member.

(36) Administrator, Dadra & Nagar Haveli—Member.

(37) Lieutenant Governor, Delhi—Member.

(38) Chief Minister, Goa, Daman & Diu—Member.

(39) Administrator, Lakshadweep—Member.

(40) Chief Minister, Mizoram—Member.

(41) Chief Minister, Pondicherry—Member.

4. The functions of the National Water Resources Council will be as follows :—

(a) To lay down the national water policy and to review it from time to time.

(b) To consider and review water development plans submitted to it (including alternative plans) by the National Water Development Agency, the River Basin Commissions, etc.

(c) To recommend acceptance of water plans with such modifications as may be considered appropriate and necessary.

(d) To direct carrying out such further studies as may be necessary for fuller consideration of the plans or components thereof.

(e) To advise on the modalities of resolving inter-State differences with regard to specific elements of water plans and such other issues that may arise during planning or implementation of the projects.

(f) To advise on practices and procedures, administrative arrangements and regulations for the fair distribution and utilisation of water resources by different beneficiaries keeping in view optimum developments and the maximum benefits to the people.

(g) To make such other recommendations as would foster expeditious and environmentally sound and economical development of water resources in various regions.

5. The Council shall meet as often as may be necessary and in any case at least once in a year.

6. The Council shall frame its own rules of business and procedure.

7. The Ministry of Irrigation shall furnish such administrative or other assistance as may be required.

8. The National Water Resources Council stands constituted from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments and the Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller & Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Department of the Central Government for information

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

M. G. PADHYE, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983